न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 18 / 2022
जीसीएमएस नः— 2022 / 88
दायर दिनांक :— 09.05.2022
निर्णय दिनांक :— 30.01.2026

अनवान

1— श्री लक्षमणलाल पिता दौला जाति ढोली निवासी बाघपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार कुंवारिया पत्रावली सख्या 700 / 2021 दिनांक 15.03.2022

उपस्थित :—

1— श्री सम्पतलाल लड्ढा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

—: निर्णय :—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि अपीलार्थी के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में साक्ष्य का अवसर दिये बिना सरकारी तौर पर निर्णय एवं आदेश पारित कर विधि की मान्य परम्परा का उल्लंघन किया है। यह कि अपीलार्थी कि द्वारा विवादित भूमि जो गांव बाघपुरा तहसील कुंवारिया में विद्यमान होकर उसके आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0809 हेक्टर होकर भूमि पर पिछले 100 वर्ष से अधिक प्ररना अपने बाप दादाओ के समय से कब्जा आधिपत्य होकर पैतृक मकान बना हुआ है। जिसमें से आधा बीघा भूमि पर पेमाईश के समय से किस्म मकान दर्ज है, तथा अपीलार्थी का कब्जा होने से अपीलार्थी का मामला नियमन होने योग्य होकर गलत तरीके से बेदखल का आदेश पारित कर दिया गया है। यह कि अपीलार्थी को ओर से दिनांक 10.02.2022 का टाईप किया हुआ प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपति के संबंध में विपक्षी के यहॉ प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 100 वर्ष पुराना कब्जा है व तथा विस्तृत जवाब से पूर्व समय दिया जाना जरूरी है ताकि पुराना कब्जा का रिकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत कर सकू। अपीलार्थी अपने पास उपलब्ध पेमाईश की खसरा मिलान की नकले व गवाही पेश करने हेतु समय मांगा गया

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

किन्तु बार बार जाने पर भी अपीलार्थी को पेशियां नहीं दी गई और अपीलार्थी की अनुपस्थिति में फेसले मे यह लिख दिया कि अपीलार्थी ने अतिक्रमण स्वीकार किया है, जबकि अपीलार्थी ने स्पष्टतः यह लिखा था कि मेरा मकान पर कब्जा पुराना है और राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार मेरा मकान पुराना होने से नियमन योग्य है, किन्तु नियमन के बजाय बेदखली का नोटिस देकर जल्दबाजी में बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलार्थी को निर्णय करने की सुचना नहीं दी गई। यह कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तूत खसरा संख्या मिलान की नकल में वर्णित तथ्य के आधाार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मान कर भूल की गई है राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप अपीलार्थी के पुराने मकान को नियमित किया जाना चाहिये था किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद अपीलार्थी के कब्जे को हटाने का आदेश पारित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। यह कि दिनांक 15.03.2022 के निर्णय की अपीलार्थी को जानकारी नही थी, क्योकि यह फेसला अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किया गया और अपीलार्थी को इस निर्णय की जानकारी तब हुई जब इस फेसले के अनुसरण में पटवारी इत्यादि मौके पर आये और हमारा कब्जा हटाने हेतु उघत हुए तब अपीलार्थी तहसील में गया व दरख्वास्त लगाई किन्तु बार बार जाने पर नकले नहीं दी गई अन्ततः दिनांक 27.04.2022 को पुनः विपक्षी से मुझ से नई नकल की दरख्वास्त ली और दिनांक 29.04.2022 को नकल निर्णय की प्रति गई इससे पूर्व मुझे बार बार चक्कर दिये गये और न ही फेसला बताया गया और न ही नकल दी गई जिससे अपील प्रस्तुत में विलम्ब हुआ है अपीलार्थी ने जानबूझ कर कोई भूल या लापरवाही नहीं की है तथा आपति के निराकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत याचिका पृथक से प्रस्तुत की जारही है। अन्य अनेक कई उजरात है, जिन्हें वक्त बहस निवेदन किये जावेगे। यह कि अपील का श्रवाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको होने से यह अपील प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.03.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होने से राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नियमित किया जावे। कि अन्य कोई दाद जो न्याय अनूसार प्रदान की जा सके प्रदान की जावे। अपीलार्थी के द्वारा काफी समय पूर्व मकान पर विद्युत कनेक्शन हेतु कार्यवाही की गई, किन्तु बिना कारण के अब तक विद्यत संबंध नहीं किया गया है, जिससे विद्युत संबंध स्थापित करवाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम बाघपुरा तहसील कुंवारिया में विद्यमान होकर उसके आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0809 हेक्टर होकर भूमि पर पिछले 100 वर्ष से अधिक प्राना अपने बाप दादाओ के समय से कब्जा आधिपत्य होकर पैतृक मकान बना हुआ है। जिसमें से आधा बीघा भूमि पर पेमाईश के समय से किस्म मकान दर्ज है, तथा अपीलार्थी का कब्जा होने से अपीलार्थी का मामला नियमन होने योग्य होकर गलत तरीके से बेदखल का आदेश पारित कर दिया गया है। धारा 91 की कार्यवाही के जरिये नियमित कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्वान्त प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने परिपत्र क्रमांक/प– 6 (7) राज– 4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियो पर दिनांक 05.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशो में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से कर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2008 से उक्त अवधि बढ़ा कर 2000 से 2008 कर दी गई है। प्रशासन गॉवो के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि सेटलमेंट से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का मामला नियमन योग्य है। अपीलान्ट को अपने विरूद्ध न्यायालय में चल रहे प्रकरण की कोई जानकारी में जवाब एवं साक्ष्य ही प्रस्तुत की गयी मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर हल्का पटवारी के कोई बयान दर्ज नहीं किये और सीधे ही आर्डरशीट पर निर्णय पारित कर अपीलान्टस को मौके से बेदखल किया जाकर लगान पच्चीस रूपये की पचास गुणा राशि 50 रूपये जुर्माना की सजा का आदेश पारित कर दिया । पटवारी द्वारा कही पर भी यह साबित नहीं किया गया कि अपीलान्टस के द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हो जबकी उक्त भूमि पर अपीलान्टस का अपने जन्म से ही कब्जा हैं। जबकि अपीलाण्ट का कब्जा कई वर्षो से है। अपीलाण्ट का मामला नियमन योग्य हैं लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम बाघपुरा में अपीलांट ने आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी द्वारा मकान बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अपीलांट का कब्जा गत पैमाईश में भी मकान दर्ज है। जिसके लिये अपीलांट द्वारा नियमन की कोई कार्यवाही पृथक से नही की गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम बाघपुरा तहसील कुंवारिया में विद्यमान होकर उसके आराजी नम्बर 273 रकबा 0.0809 हेक्टर होकर भूमि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है, जिसके संबंध में अधिनस्त न्यायालय द्वारा प्रथम सुनवाई पर ही फर्द अहकाम पर सील लगाते हुऐ छपे हुए प्रफोर्मा पर निर्णय पारित किया गया। साथ ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का युक्तियुक्त एंव समुचित अवसर नही दिया है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार कुंवारिया द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 700/2021 निर्णय दिनांक 15.03.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुंवारिया को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आर्ब्जरवेशन दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पक्षकारो को युक्तियुक्त सुनवाई, साक्ष्य, सबुत का समुचित अवसर प्रदान कर प्रचलित विधि के प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार जॉच कर प्रकरण में नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावें।

30/1/26

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द